

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (पुप-2) विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)साप्र/2/2013 पार्ट

जयपुर, दिनांक

- आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश संख्या प.3(1)साप्र/2/2013-पार्ट दिनांक 25.07.2013 के द्वारा निम्न अधिकारी को उनकी तृतीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित राजकीय आवास का उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर नियमित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम अधिकारी	आवंटित आवास संख्या	परिवर्तित आवास संख्या	संवानिवृति दिनांक
1	58/2013	श्री गोपाल लाल शर्मा निजी सहायक, कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर पश्चिम, जयपुर।	जी.ए./गा/टी-1 /176	जी.ए./गा/टी-2 /18	30.04.2036

शर्त:-

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खत: निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. रवयं तथा पल्नी/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसारण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशापी अग्रियन्ता/आवासीय अग्रियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पल्न व उन पर आश्रित किरी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव बन) राज्यपाल शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, निमी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. पुलिस उपायुक्त, जयपुर पश्चिम, जयपुर।
6. कोषधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशापी अभियन्ता, साठनिविड़ी/जन रखाठनिविड़ी/जयपुर विडिविड़निगम लिंग, विद्याधरनगर, जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अगले में लावें।
9. निवेदक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकोंग, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
12. श्री गोपाललाल शर्मा, निवासी जी.ए./गा/टी-1/176 विद्याधरनगर, जयपुर को भेज बर लेख है कि कृपया परिवर्तित आवास संख्या जी.ए./गा/टी-2/18 विद्याधरनगर, जयपुर वज्र निर्धारित अवधि में कब्जा लेकर यह आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (पुप-5) विभाग।
14. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव शासन सचिव, शासन सचिव, राजप्रधि।
15. राजित पत्रकाली।

मुलालाल शर्मा 19/7/13
शासन सहायक सचिव